छोटे उद्यमों को बड़ी कंपनी बनाने के लिए नए निर्देश

कवायद

नई दिल्ली, एजेंसी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने अपने एसएमई मंच से मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित होने को इच्छुक छोटे एवं मध्यम उद्यमों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत आवेदक के पास पिछले दो वित्त वर्षों में कम से कम 15 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए। नए दिशानिर्देश एक जनवरी 2024 से प्रभावी होंगे।

दिशानिर्देशों के तहत, आवेदक कंपनी को कम से कम तीन वर्षों के लिए एसएमई मंच पर सूचीबद्ध होना आवश्यक है। इसके अलावा मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित होने से पहले उनके पास 250 सार्वजनिक शेयरधारक होने चाहिए। इसके अलावा एसएमई का परिचालन लाभ कम से कम तीन वित्त वर्षों में से किसी दो में सकारात्मक होना चाहिए। साथ ही एक्सचेंज में स्थानांतरण आवेदन करने वाले मौजूदा वित्त वर्ष में शुद्ध मुनाफे में बढ़ोतरी दर्ज की हो।

न्यायाधिकरण में न चल रहा हो कोई मामला

इसके अलावा आवेदक की चुकता इक्विटी पूंजी 10 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए और बाजार पूंजीकरण कम से कम 25 करोड़ रुपये होना चाहिए। आवेदक कंपनी पर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में अतीत में या वर्तमान में कोई मामला नहीं होना चाहिए।